न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 165/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रामसिंह पुत्र गुणेशसिंह		1. सोनसिंह पुत्र हरीसिंह
2. मृतक भंवरसिंह पुत्र गुणेशसिंह का0 मु0 :— 2/1 पदमसिंह गोदीपुत्र स्व0 भंवरसिंह		2. जगदीशसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. बाबुसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. शान्तिदेवी पत्नी भंवरसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण रूपावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. नाहरसिंह पुत्र गुणेशसिंह 4. गुमानसिंह पुत्र गुणेशसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण रूपावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		6. तहसीलदार भूमि धारक, सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री भवानीसिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

02. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता, श्री पुनीत दवे अधिवक्तागण अप्रार्थी सं0 2 से 5 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 17/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रूपावास के खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर, किस्म बंजड़ आई हुई है, जिसमें राजस्व रेकर्ड में तीन खातेदार लालसिंह, भंवरसिंह, सोहनसिंह पुत्र हरीसिंह थे, जो प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण दोनो एक ही परिवार के वंशज है, जिसकी वजह से इनकी जमीन भी आपस में सामलाती थी, फिर इनके आपस में बंटवाड़ा हुआ था, तत्पश्चात् अपनी सुविधा के अनुसार प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण सोहनसिंह व अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता/पति भंवरसिंह व भंवरसिंह के बड़े भाई लालसिंह ने मिलकर के दिनांक 27/06/1976 को उपर वर्णित विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता गुणेश सिंह को अदला—बदली में एक 3/— रूपये अक्षरे तीन रूपये के स्टाम्प पर लिखत कर अपनी खातेदारी भूमि सुपुर्द की थी, उसके बदले में प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह से सरहद मौजा रूपावास वर्तमान में ग्राम बरीयाला के खसरा नम्बर 513 रकबा 0.7100 हैक्टर किस्म बारानी भूमि, खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर के बदले में प्राप्त की, जिसमें तीनो भाईयों की सहमति थी तथा यह खेत उनके आपसी बंटवाड़े के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 सोनसिंह के हिस्से में आया हुआ था, जिसमें अदला—बदली का स्टाम्प खरीदा था, वह स्टाम्प दिनांक 25/06/1976 को वास्ते अदला—बदली अप्रार्थी संख्या 1 सोनसिंह पुत्र हरीसिंह व भंवरसिंह पुत्र हरीसिंह ने मिलकर के स्टाम्प खरीदा था, उक्त अदला—बदली की लिखा—पढ़ी में यह लिखा कि खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर इस खसरा नम्बर का 1/2 का हिस्सा गुणेशसिंह पुत्र रूपसिंह पुरोहित गांव रूपावास के पास है, यह नम्बर वाडिये के जाव से पुकारा जाता है और मैरा खुद का बन्ट है। इस पर मैरा खुद का काश्त कब्जा है। गुणेश सिंह पुत्र रूपसिंह पुरोहित जो प्रार्थीगण के पिता है रूपावास तहसील सोजत के उनके एक खेत जो ग्राम रूपावास के खसरा नम्बर 513 रकबा 0.7100 हैक्टर वर्तमान में यह खसरा सरहद मौजा बरीयाला में स्थित है, यह खेत गोरवे खेत से जाना जाता है, इस खेत के बदले में अपना उक्त खेत देता हूं, यह बात अप्रार्थी संख्या 1 ने लिख कर के दिया है, क्योंकि यह खेत अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में आया हुआ था, फिर बाद में यह लिखा कि इसका भूमिकर आज तक का खुद अदा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

करूंगा और मैरी जिम्मेवारी रहेगी, बाद में गुणेशसिंह की बिगोड़ी जमा करवाने की जिम्मेदारी रहेंगी। यह अदला–बदली की लिखा–पढी सोनसिंह ने अपनी राजी–खुशी, बिना किसी प्रकार के नशे पत्ते के गुणेशसिंह के हक में कर दी है, जो वक्त जरूरत काम आवे, जब भी गुणेशसिंह अपने हक में रेकर्ड तैयार करवायेंगे, मैं उनके हक में बयान दूंगा, या यह लिखा पढी मेरा बयान मान लिया जायेगा। आज मेरे तमाम हक व अधिकार खातेदारी वगैरा के गुणेशसिंह के पक्ष में होंगे, यह लिखावट लाबुसिंह पुत्र रावतसिंह पुरोहित रूपावास ने की थी, व सोनसिंह पुत्र हरीसिंह के कहने पर स्टाम्प पर लिखा व पढ़ कर सुना व समझा दिया, जिसको सोनसिंह ने मंजूर किया, तत्पश्चात् दिनांक 27/06/1976 को सोनसिंह ने अपने पुरे हस्ताक्षर किये तथा उक्त अदला–बदली की लिखा–पढ़ी में सुखसिंह व इन्द्रसिंह दोनो ने सोनसिंह के कहने से साख डाली व नीचे अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता व पति लालसिंह ने हस्ताक्षर किये, इस प्रकार उक्त खेत की अदला–बदली की लिखा–पढ़ी में सोनसिंह ने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर गुणेशसिंह को दी तथा इसके बदले में गुणेशसिंह से खसरा नम्बर 513 रकबा 0.7100 हैक्टर कृषि भूमि सोनसिंह ने प्राप्त की, उक्त लिखा–पढ़ी में लालसिंह व भंवरसिंह की सहमति थी, इसलिये स्टाम्प खरीदते समय सोनसिंह व भंवरसिंह दोनो ने मिलकर स्टाम्प खरीदा व लालसिंह ने लिखा–पढ़ी के अन्त में अपने हस्ताक्षर किये, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की अदला–बदली में दोनो की सहमति थी, जो लिखावट से साबित है तथा प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह ने रकबा 0.5800 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त करके रकबा 0.7100 हैक्टर जमीन अदला–बदली में दी, जो रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि अधिक दी थी, इसका कारण यह था कि प्रार्थीगण के पिता के पास खसरा नम्बर 1377 था और उसके बिल्कुल चिपता हुआ, खसरा नम्बर 1378 है, तो दोनो खेत एक हो जाये। दिनांक 27/06/1976 को अदला–बदली की लिखा–पढ़ी करने के दिन से ही खसरा नम्बर 1378 पर प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह जी का कब्जा काश्त रहा एवम् उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 513 पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 513 में सोनसिंह ने अपने निजी खर्चे से मेहन्दी भी आज से 20 वर्ष पहले लगा रखी है। जिसकी निराई, गुडाई व कटाई सोनसिंह ही कर रहा है, क्योंकि सोनसिंह के हिस्से में यह खेत आया हुआ है, लेकिन समय रहते प्रार्थीगण के पिता ने व उनके पश्चात् प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1378 की खातेदारी आपसी विश्वास के कारण अपने नाम नहीं करवाई, इसी प्रकार अप्रार्थी सोनसिंह ने भी अपने नाम पर खसरा नम्बर 513 की खातेदारी नहीं करवाई और खसरा नम्बर 513 में वर्तमान में प्रार्थीगण की राजस्व रेकर्ड में मात्र खातेदारी है, लेकिन मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में पुरानी खातेदारी के आधार पर वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व इसके भाई लालसिंह के उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 व भंवरसिंह के उत्तराधिकारीयो की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर की कृषि भूमि जो कि सोजत से जोधपुर जाने वाली मैगा हाईवे रोड़ पर आने से व रूपावास में आबादी बढ़ने से उक्त कृषि भूमि की कीमत काफी अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से अप्रार्थीगण की नीयत में फर्क आ गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 एक चतुर, चालाक, होशियार एवम् राजनैतिक पहुंच रखने वाला व्यक्ति होने से नाजायज फायदा उठाने की नीयत से दिनांक 29/10/2021 को अपने बड़े पिता लालसिंह के सम्पूर्ण उतराधिकारीयो से मिलावट कर उनको लोभ–प्रलोबन देकर व अपनी राजनैतिक पहुंच का रूतबा बता कर यह कहते हुये अपने पक्ष में हकतर्क करवाया कि रामसिंह वगैरा से आप लोग जिन्दगी में कब्जा प्राप्त नहीं कर सकतें हो, और मैं मेरे स्तर पर कब्जा प्राप्त कर लूंगा और राजस्व रेकर्ड में अपना नाम होने से मैं उनसे येन–केन प्रकरेण कब्जा प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार उनको बहकावे में लेकर अपने अकेले के पक्ष में हकतर्क करवा दिया, इसलिये प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में लालसिंह के उतराधिकारीयो को पक्षकार नहीं बनाया है, लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 1378 पर प्रार्थीगण का पूर्ण रूप से पिछले 46 वर्षो से शांतिपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1378 व खसरा नम्बर 1377 दोनो को एक करते हुये चारो तरफ धोरा–पाली व बाड़ करवा रखी है तथा प्रार्थीगण का मौके पर अलग अलग बंटवाड़ा भी हो रखा है तथा मुख्य सड़क के पास में अलग अलग तीन लोहे की फाटके खसरा नम्बर 1378 में लगी हुई है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने कब्जा करने की नीयत से दिनांक 07/11/2021 की शाम को करीब 06 बजे जगदीशसिंह अपने साथ में एक जे.सी.बी. और 15 बदमाश गुण्डे लेकर के खसरा नम्बर 1378 पर कब्जा करने के लिये आया और उसने प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में धोरा–पाली बिखेरना चालू किया और प्रार्थीगण को पता चला तब प्रार्थीगण मौके पर आये और पुलिस को फोन किया और आपस में झगड़ा फिसाद हुआ ओर प्रार्थीगण के लड़को के साथ जगदीश सिंह वगैरा ने मारपीट की, फिर मौके पर पुलिस आ गई, तो मौके पर से जगदीशसिंह वगैरा भाग गये, उनके खिलाफ प्रार्थी रामसिंह ने शिवपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने नाजायज रूप से विवादग्रस्त कृषि भूमि 1378 पर कब्जा करने की असफल कोशिश की, लेकिन प्रार्थीगण ने कब्जा नहीं करने दिया, इन सभी परिस्थितियो को देखते हुये प्रार्थीगण ने कानून से न्याय प्राप्त करने के लिये यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है, क्योंकि दिनांक 27/06/1976 को अप्रार्थीगण व उनके पिता व उनके बड़े पिता द्वारा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में 3/– अक्षरे तीन रूपये के स्टाम्प पर अदला–बदली खातेदारी भूमि का एग्रीमेन्ट लिख कर के दे दिया था, व मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है, क्योंकि पिछले 46 वर्षो से प्रार्थीगण एवम् इनके पिता का ही शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर से जोर–जबरदस्ती, लाठी–लकड़ी के बल पर बेदखल कर दिया तो, अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर सरहद मौजा रूपावास के खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर की कृषि भूमि पर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि को अप्रार्थीगण बेचान, बक्सीस, वसीयत, रहन, अन्तरण, हस्तान्तरण या अन्य किसी प्रकार से राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करे तथा न ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त या उसके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं अप्रार्थीगण पैदा करे न ही अन्य किसी से करवाने की कोशिश करे की ईश्तदुआ की हैं।

इस राजस्व विविध प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रा0पत्र पेश करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 बावजूद सूचना / तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। **अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 5 की ओर प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया** कि प्रार्थीगण ने अनरजिस्टर्ड, अपर्याप्त मुद्रांकित, फर्जी कुटरचित स्टाम्प लिखत खसरा अदला बदली के दस्तावेज के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विधि के प्रावधानो के तहत एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत अनरजिस्टर्ड, अपर्याप्त मुद्रांकित फर्जी, कुटरचित स्टाम्प लिखत तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी भी प्रकार से खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती, इसलिये प्रार्थीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से यह प्रार्थना पत्र भी काविले खारिज फरमाया जावे। लोक सेवक तहसीलदार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक एवम् आज्ञापक प्रावधान है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र में कहीं पर भी वाद की आवश्यक प्रकृति को लेकर कोई वर्णन नहीं किया है न ही उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का हैं इसलिये प्रार्थीगण का वाद कानूनन आज्ञापक प्रावधानो की अवहेलना में होने से यह प्रार्थना पत्र भी काविले खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वाद पेश करने एवं प्रार्थना पत्र पेश करने की किसी भी प्रकार की कोई लोकस स्टेण्डी नहीं है, न ही प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

पत्र काबिले खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 06 नियम 02 सी.पी.सी. जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हर अभिवचन में तारीखे, राशियों, संख्याये अंको एवम् शब्दो में भी अभिव्यक्त की जायेगी की पूर्ण रूप से अवहेलना की है, इसलिये प्रार्थीगण का वाद आदेश 06 नियम 02 सी.पी.सी. की पालना के अभाव में अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे, साथ ही यह प्रार्थना पत्र भी खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 से 05 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने बिल्कुल ही गलत मिथ्या, कपोलकल्पित, मनगढंत तथ्यों पर एवं फर्जी कुटरचित इकरार खसरा अदला बदली के आधार पर वाद पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्यों के जवाब इस प्रकार है कि उक्त तथ्य बिल्कुल झूठे, मनगढ़त, कपोलकल्पित एवम् मिथ्या है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 कभी भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कभी भी सामलाती नहीं रही न ही वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण पूर्वज लालसिंह, भंवरसिंह व सोहनसिंह के मध्य कोई बंटवाडा हुआ था और न ही बंटवाड़े अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि संख्या 1378 सोहनसिंह के हिस्से में आई, न ही वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 के सम्बन्ध में कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 सोहनसिंह व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के पूर्वज भंवरसिंह व उनके बड़े भाई लालसिंह ने कोई लिखा पढ़ी खसरा अदला बदली की प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह के पक्ष में 3/– रूपये के स्टाम्प खरीदकर निष्पादित की हो, प्रार्थीगण ने एक फर्जी कुटरचित दस्तावेज तैयार किया हैं, जिस फर्जी कुटरचित स्टाम्प पर प्रथम दृष्टया देखने मात्र से प्रतीत होता है कि उक्त फर्जी कुटरचित दस्तावेज स्टाम्प लिखा पढी में खसरा संख्या 1378 व खसरा संख्या 513 को ओवरराईट करते हुए बाद में लिखा गया है जिससे भी बखुबी स्पष्ट होता है कि उक्त स्टाम्प लिखा पढ़ी फर्जी व कुटरचित है, उक्त फर्जी कूटरचित लिखा पढ़ी के पृष्ठ भाग पर कहीं पर भी अप्रार्थी संख्या 1 सोहनसिंह, अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्वज भंवरसिंह एंव भंवरसिंह के बड़े भाई लालसिंह के कहीं कोई हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है, प्रार्थीगण ने उक्त पैरा में झूठे व मनगढ़ंत तथ्य अंकित किये हैं कि प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह ने उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 के बदले खसरा संख्या 513 जो कि ग्राम बरियाला में स्थित है कि अदला बदली की थी जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड को देखा जाये तो वर्तमान में सरहद मौजा ग्राम बरियाला के खसरा संख्या 513 की कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम की खातेदारी हैं एवं प्रार्थीगण स्वयं ने अपने पिता की जगह खुद का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया हैं, जिससे भी प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि की खसरा अदला बदली के सम्बन्ध में झूठ साफ–साफ दर्शित होता है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त पद में यह भी तथ्य झूठे वर्णित किये है कि खसरा संख्या 1378 का आधा हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज गुणेशसिंह पुत्र रूपसिंह के पास था जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि का कोई हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज गुणेशसिंह के कब्जा काश्त का नहीं रहा शुरू से ही वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 सोहनसिंह एंव अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के पूर्वज भंवरसिंह व भंवरसिंह के बड़े भाई लालसिंह का रहा एवं भंवरसिंह व लालसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसानों का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहा। प्रार्थीगण का मूल उद्देश्य वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 जो कि वर्तमान में जोधपुर जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित हैं एवं उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 के पीछे जो प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1377 हैं उक्त कृषि भूमि की आड़ में वादग्रस्त कृषि भूमि को जबरन अवैध रूप से कब्जा कर अप्रार्थीगण को बेदखल कर वादग्रस्त कृषि भूमि 1378 को स्वयं की दर्शाकर औणे–पौणे दामों में भू–माफियाओं को बेचने की रही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 का जवाब हैं कि प्रार्थीगण का यह लिखना कि "दिनांक 27/06/1976 को अदला बदली की लिखा पढ़ी करने के दिन से ही खसरा संख्या 1378 पर प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह का कब्जा काश्त रहा एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 513 पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा खसरा संख्या 513 में सोनसिंह ने अपने निजी खर्चे से मेहन्दी भी आज से 20 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी

पहले लगा रखी हैं", बिल्कुल ही गलत व झूठ है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 पर कभी भी प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह का कब्जा नहीं रहा न ही उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण का कब्जा वादग्रस्त कृषि भूमि पर रहा, सरहद मौजा ग्राम बरियाला में स्थित खसरा संख्या 513 की भूमि पर कभी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा न ही अप्रार्थी संख्या 1 सोनसिंह ने अपने निजी खर्चे से आज से 20 वर्ष पहले कभी कोई मेहन्दी की फसल रोपी थी, प्रार्थीगण का आगे यह लिखना भी झूठ है कि जिसकी निराई, गुडाई, कटाई सोनसिंह ही कर रहा हैं क्योंकि सोनसिंह के हिस्से में यह खेत आया हुआ है। खसरा संख्या 513 की कृषि भूमि पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी भी निराई, गुडाई, कटाई इत्यादि नहीं की, प्रार्थीगण का आगे यह लिखना कि "प्रार्थीगण के पिता ने व उसके पश्चात प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि 1378 की खातेदारी आपसी विश्वास के कारण अपने नाम नहीं करवाई, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 सोनसिंह ने भी अपने नाम पर खसरा संख्या 513 की खातेदारी नहीं करवाई और खसरा संख्या 513 में वर्तमान में प्रार्थीगण की राजस्व रेकर्ड में मात्र खातेदारी हैं, लेकिन मौके पर कब्जा काश्त नहीं है।" झूठ, कपोलकल्पित है। जब वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 की खातेदारी उक्त फर्जी कुटरचित स्टाम्प की अदला बदली की लिखत के आधार पर प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह को प्राप्त हुई ही नहीं तो खातेदारी दर्ज करवाने का कोई औचित्य ही नहीं है इसी प्रकार खसरा संख्या 513 प्रार्थीगण के पूर्वज का ही था तो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का कोई औचित्य नहीं रहता। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर में वर्तमान में बिल्कुल ही सही रूप से खातेदारी दर्ज हैं, वादग्रस्त कृषि भूमि 1378 के अलावा खसरा संख्या 107, 1280, 1380, 99 भी अप्रार्थीगण के पूर्वज सोनसिंह, भंवरसिंह, लालसिंह के कब्जा काश्त खातेदारी हक हकूक की कृषि भूमि थी तत्पश्चात भंवरसिंह की मृत्यु के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1559 दिनांक 05/01/2021 के वादग्रस्त कृषि भूमि 1378 के अलावा खसरा संख्या 107, 1280, 1380, 99 में भंवरसिंह पुत्र हरीसिंह के स्थान पर शान्तिदेवी पत्नी भंवरसिंह, बाबुसिंह पुत्र भंवरसिंह, राजपुरोहित जगदीशसिंह पुत्र भंवरसिंह, विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह, परबतसिंह पुत्र कमलादेवी, प्रवीणसिंह पुत्र कमलादेवी, दुर्गाकंवर पुत्री कमलादेवी, मुनिया कंवर पुत्री कमलादेवी के नाम बतौर भंवरसिंह के उतराधिकारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, तत्पश्चात जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 29/10/2021 के कन्याकंवर पत्नी लालसिंह, पुखसिंह पुत्र लालसिंह, मांगुसिंह पुत्र लालसिंह, शान्तिदेवी पत्नी भंवरसिंह, बाबुसिंह पुत्र भंवरसिंह, विक्रमसिंह बी. राजपूरोहित पुत्र भंवरसिंह, दुर्गाकवंर पुत्री कमला पुत्री भंवरसिंह, परबतसिंह पुत्र कमला पुत्री भंवरसिंह, प्रवीणसिंह पुत्र कमला पुत्री भंवरसिंह, मुनिया कंवर पुत्री कमला पुत्री भंवरसिंह ने वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 रकबा 0.5800 में अपने हक का त्याग अप्रार्थी संख्या 2 जगदीशसिंह राजपुरोहित पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में कर दिया एवं वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 के 2/3 हिस्से का कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 2 को सुपुर्द कर दिया, इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में 2/3 हक हिस्सा राजपुरोहित जगदीशसिंह पुत्र भंवरसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1628 दिनांक 30/03/2022 के दर्ज हुआ तथा वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि 1378 पर अप्रार्थी संख्या 2 का ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। प्रार्थी संख्या 1 बड़ा ही चलाक चतुर व्यक्ति है जो ग्राम रूपावास का सरपंच भी रह चुका हैं एवं रामसिंह पर दर्जनो मुकदमे दर्ज है जो हिस्ट्रीशीटर हैं, एवं आदतन अपराधी है। प्रार्थीगण का यह लिखना कि "अप्रार्थी संख्या 2 ने नाजायज रूप से विवादग्रस्त कृषि भूमि 1378 पर कब्जा करने की असफल कोशिश की लेकिन प्रार्थीगण ने कब्जा नहीं करने दिया" पूर्ण रूप से झूठ है वादग्रस्त कृषि भूमि पर शुरू से ही अप्रार्थीगण 1 व 2 का कब्जा रहा, सड़क और अप्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमा निर्धारण नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब सोजत को सीमाकंन हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 26/11/2021 को ग्राम रूपावास के खसरा संख्या 1378 का सीमाकंन किया जाकर सीमा चिन्हो का निर्धारण किया गया एवं वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

महोदय के समक्ष राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 के तहत प्रस्तुत किया जो राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 166/2021 पर दर्ज रजिस्टर्ड हुआ एवं बाद सुनवाई दिनांक 09/12/2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में पत्थरगढी का आदेश दिया गया जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सोजत द्वारा एक राजस्व टीम गठित कर मौके पर पत्थरगढ़ी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा एवं अप्रार्थी संख्या 2 ही वादग्रस्त कृषि भूमि की देखरेख सार–सम्भाल अवेराई इत्यादि करता है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया ममला नहीं बनता है प्रार्थीगण का यह लिखना कि "दिनांक 27/06/1976 को अप्रार्थीगण व उनके पिता व बड़े पिता द्वारा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में 3/– रूपये के स्टाम्प पर अदला बदली खातेदारी भूमि का एग्रीमेन्ट लिखकर दे दिया व मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था, जो बिल्कुल ही गलत व झूठ हैं, अप्रार्थीगण के पिता व उनके बड़े पिता द्वारा कभी भी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 के सम्बन्ध में कोई स्टाम्प पर लिखा पढ़ी प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित नहीं की जिस स्टाम्प की लिखा पढ़ी का वर्णन प्रार्थीगण उक्त पद में कर रहे हैं व लिखा पढ़ी स्वयं प्रार्थीगण द्वारा फर्जी व कुटरचित तरीके से तैयार की गई है जो प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ही फर्जी एंव कुटरचित लगती है। प्रार्थीगण का आगे यह लिखना कि सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है बिल्कुल ही गलत व झूठ है सुविधा का सन्तुलन का पलड़ा दूर–दूर तक प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण का आगे यह लिखना कि पिछले 46 वर्षो से प्रार्थीगण एंव इनके पिता का ही शान्तिपूर्वक काश्त कब्जा चला आ रहा है, बिल्कुल ही गलत एवं झूठ है वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। प्रार्थीगण का आगे यह लिखना कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर से जौर जब्बरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर बेदखल कर दिया तो, अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी जिसकी क्षतिपूति भविष्य में किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती पूर्णरूप से गलत, मिथ्या व झूठ हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही कब्जा हैं लिहाजा प्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता जब वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी हक हकूक की कृषि भूमि हैं न तो पूर्व में न ही आज दिनांक तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा प्रार्थीगण का नहीं है ऐसी परिस्थितियों में अपूर्णिय क्षति कारित होने की बात प्रार्थीगण द्वारा बिल्कुल ही गलत मनगढ़ंत तरीके से लिखी गई हैं ऐसी परिस्थितियों में अपूर्णिय क्षति का कोई भी तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि दिनांक 27/06/1976 को विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता गुणेश सिंह को अदला–बदली में एक 3/– रूपये अक्षरे तीन रूपये के स्टाम्प पर लिखत कर अपनी खातेदारी भूमि सुपुर्द की थी, उसके बदले में प्रार्थीगण के पिता गुणेशसिंह से सरहद मौजा रूपावास वर्तमान में ग्राम बरीयाला के खसरा नम्बर 513 रकबा 0.7100 हैक्टर किस्म बारानी भूमि, खसरा नम्बर 1378 रकबा 0.5800 हैक्टर के बदले में प्राप्त की, जिसमें तीनो भाईयों सोनसिंह, भंवरसिंह व लालसिंह की सहमति थी तथा यह खेत उनके आपसी बंटवाड़े के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 सोनसिंह के हिस्से में आया हुआ था। तब से प्रार्थी का वादग्रस्त ख.नं. 1378 पर कब्जा चला आ रहा हैं, लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थी सं0 02 उक्त वादरथ भूगि का प्लोटिंग कर बेचान करने पर उतारू हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सावित होती हैं। जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में

सोजत (...)

2021(2) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 997, 2022(2) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 1541, 2024(1) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 558, 2024(1) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 600, 2024(2) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 1372 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने एक फर्जी कुटरचित दस्तावेज तैयार किया हैं, जिस फर्जी कुटरचित स्टाम्प पर प्रथम दृष्टया देखने मात्र से प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 1378 व खसरा संख्या 513 को ओवरराईट करते हुए बाद में लिखा गया है। जिस फर्जी कुटरचित स्टाम्प लिखत पर गणेशसिंह, सोहनसिंह दोनो के ही हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त लिखत में वादग्रस्त कृषि भूमि की अदला बदली धारा 48 आर0टी0 एक्ट के तहत विनिमय नहीं की गई है, क्योंकि उक्त दोनों खसरान क्रमशः 1378 व 513 की किस्म क्रमश बंजड़, चा0सो0 व बा0दो0 भिन्न–भिन्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जो यह साबित करें कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा–काश्त या स्वामित्व हों। प्रार्थीगण एडवर्स पजेशन तथा फर्जी कुटरचित स्टाम्प लिखत के आधार पर यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति कतई प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रा0पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रा0पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 558, 2009(2) आरआरटी पेज सं0 1327, 2009(1) आरआरटी पेज सं0 638, 2011 आरआरडी पेज 508, 2015 आरआरडी पेज 210, 2016 आरआरडी पेज 464, 2022(2) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 1515, 2023(1) आरआरटी पेज सं0 235, 2023(1) आरआरटी पेज सं0 242, 2023(1) आरआरटी पेज सं0 266, 2023(1) आरआरटी पेज सं0 31, 2024(2) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 1324, 2025(1) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 25, 2025(1) डीएनजे (रेव.) पेज सं0 72 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा वादस्थ भूमि ख.नं. 1378 तथा 513 के संबंध में दिनांक 27/06/1976 को 3/– रूपये के स्टाम्प पर लिखत तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर यह वाद एवं प्रा0पत्र पेश किया है, जिसका निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किया जायेगा। प्रार्थीगण द्वारा वादस्थ ख.नं. 1378 पर कब्जा होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। जबकि अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि ख.नं. 1378 के रेकर्डेड खातेदार है। जिससे वर्तमान परिपेक्ष्य में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (पाली) सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (पाली) सोजत